

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
अफारलाल बनाम हजारीलाल
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 278/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती अफारलाल

पिता श्री सेवाराम कुमावत

निवासी- नरमाई तह भोसरा कौरेह

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम गाडरीखेडा (प.ह. सतपुडा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 466, 518

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.7900 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

गाडरीखेडा (प.ह. सतपुडा)

अतः प्रार्थी की ग्राम गाडरीखेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 466, 518

कुल कीता 2 रकबा 0.7900 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 700000 रुपये अक्षरे सत सतपुडा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।

रामचन्द्र खटौकी
सहायक जज (अ.स.)
चित्तौड़गढ़